सिविल विविध
न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और गोपाल सिंह के समक्ष

देवी शंकर प्रभाकर, याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य आदि,--उत्तरदाता

1969 का सी.डब्ल्यू. नं. 1357

5 जनवरी, 1971

पंजाब जनसंपर्क विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम (1958) - नियम *10 - नियम में उल्लिखित "स्थायी रिक्तियां" - चाहे इसका अर्थ है "स्थायी* पद" - पंजाब जनसंपर्क विभाग *1958* में *परिवीक्षा* पर नियुक्त व्यक्ति - *बाद में रिक्त होने वाला स्थायी* पद - *ऐसा परिवीक्षाधीन - क्या परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद बिना किसी दोष के उस पद पर नियुक्त होने का हकदार है।*

पंजाब **जनसंपर्क विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम, 1958 के** नियम 10 **के उप-नियम (1) की भाषा के साथ नियम** 10 **के अंत में संलग्न परंतुक का पाठ** इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि संदर्भ में 'स्थायी रिक्तियों' का अर्थ 'स्थायी पद' है। यदि किसी व्यक्ति को पंजाब जनसंपर्क विभाग में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है और बाद में एक स्थायी पद खाली हो जाता है, तो परिवीक्षा पर पदधारी बिना अपने कार्य या आचरण से जुड़ा कोई दोष या चूक के परिवीक्षा की अवधि पूरी होने के बाद उस पद पर नियुक्त होने का हकदार होता है।

यद्यपि उस समय पदधारी को परिवीक्षा पर उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख पर मौजूद "स्थायी रिक्ति" के खिलाफ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, फिर भी **बाद के "स्थायी पद"** की **घटना** का लाभ उस **पदधारी** द्वारा उठाया जा सकता **है। (पैरा 4 और 7)**

माननीय न्यायमूर्ति आर एस नरूला द्वारा 8 *दिसंबर*, 1969 को *मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के कारण एक बड़ी पीठ को मामला सौंपा गया। इस मामले का निर्णय अंततः माननीय न्यायमूर्ति डीके महाजन* और *माननीय न्यायमूर्ति गोपाल सिंह की बड़ी पीठ द्वारा 5 जनवरी*, 1971 को *किया गया था।*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत संशोधित याचिका में अनुरोध किया गया है कि 29 मई, 1969 के प्रतिवादी संख्या 1 के आदेश को रद्द करते हुए सर्टिओरी की प्रकृति में रिट, या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए और इस रिट याचिका के निर्णय तक आक्षेपित आदेश के संचालन के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए। '

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप और अधिवक्ता एस. एम. श्री ।

~

उत्तरदाताओं की ओर से एडवोकेट-जेनेरल (हरियाणा) आर. एन. मित्तल।

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था -

न्यायमूर्ति गोपाल सिंह—नरूला न्यायमूर्ति द्वारा वृहद पीठ को भेजी गई यह रिट याचिका देवी शंकर प्रभाकर ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की है। याचिका दायर करने के लिए तथ्य इस प्रकार हैं: —

(2)याचिकाकर्ता को 9 फरवरी, 1953 को पंजाब के समग्र राज्य के विकास विभाग में सामाजिक शिक्षा संगठक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 9 नवंबर, 1956 को राज्य के जनसंपर्क विभाग में प्रचार पर्यवेक्षक के रूप में लिया गया था। 14 जुलाई, 1959 को, याचिकाकर्ता को एक छुट्टी रिक्ति में जिला जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो श्री ईशर चंदर, जिला जनसंपर्क अधिकारी के छुट्टी पर जाने के परिणामस्वरूप हुआ था। 29 अक्टूबर, 1969 को श्री ईशर चंदर ने अपनी छुट्टी रद्द कर दी। याचिकाकर्ता जिला जनसंपर्क अधिकारी के पद पर बने रहे क्योंकि श्री ईशर चंदर को कहीं और नियुक्त किया गया था। पंजाब लोक सेवा आयोग ने 13 मई, 1961 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को उनके द्वारा धारण किए गए पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी। याचिकाकर्ता को 6 या 7 अक्टूबर, 1961 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर उस पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने 9 नवंबर, 1963 को उस पद की दक्षता सीमा पार कर ली। 16 फरवरी, 1967 को प्रकाश देव, जो एक पक्का जिला जनसंपर्क अधिकारी थे, सेवानिवृत्त हुए। 31 जुलाई, 1968 को एक अन्य जिला जनसंपर्क अधिकारी निरभाई सिंह भी सेवानिवृत्त हुए। **याचिकाकर्ता ने अपने प्रत्यावर्तन की तारीख तक जिला जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करना जारी रखा। उत्तरदाताओं की ओर से इन तथ्यों को विवादास्पद नहीं किया गया है।**

(3)दिनांक 29 मई, 1969 के प्रत्यावर्तन आदेश की वैधता को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है :-

(1)पंजाब जनसंपर्क विभाग (राजपत्रित) सेवाएं, नियम, 1958 के नियम 10 के तहत, याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर एक स्थायी पद पर नियुक्त किया गया था और परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर इसकी पुष्टि की गई थी।

(2)यह कि प्रत्यावर्तन का आदेश याचिकाकर्ता को दंडात्मक परिणामों के साथ आता है और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन करता है और याचिकाकर्ता के प्रत्यावर्तन को प्रशासनिक कारण नहीं माना जा सकता है।

सेवा नियमावली का नियम 10 इस प्रकार है:-

"परिवीक्षा.—(1) सेवा के सदस्य, जिन्हें स्थायी रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया जाता है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति पर, सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किए गए सदस्यों के मामले में दो साल की अवधि के लिए और अन्यथा भर्ती किए गए सदस्यों के मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे;

बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति पर या संबंधित या उच्च पद पर खर्च की गई सेवा की अवधि को इस नियम के तहत निर्धारित परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है।

(2) यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी सदस्य का कार्य या आचरण, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या उसे उसके पूर्व पद पर वापस कर सकता है यदि उसे सीधी नियुक्ति के बजाय अन्यथा भर्ती किया गया है।

(3)किसी सदस्य की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति में ऐसे सदस्य की पुष्टि कर सकता है या, यदि उसका कार्य और आचरण नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं रहा है, तो उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या उसे उसके पूर्व पद पर वापस कर सकता है यदि उसे सीधी नियुक्ति के अलावा अन्यथा भर्ती किया गया है या परिवीक्षा की अवधि का विस्तार किया गया है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो परिवीक्षा की मूल अवधि की समाप्ति पर वह पारित कर सकता था:

बशर्ते कि विस्तार सहित परिवीक्षा की कुल अवधि, यदि कोई हो, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी यदि कोई स्थायी रिक्ति है जिसके खिलाफ ऐसे सदस्य की पुष्टि की जा सकती है।

(4)नियम के उप-नियम (1) की भाषा के साथ नियम 10 के अंत में संलग्न परंतुक के पाठ को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संदर्भ में 'स्थायी रिक्तियों' शब्द का अर्थ है, 'स्थायी पद'। याचिकाकर्ता सीधी भर्ती नहीं थी। जनसंपर्क विभाग में काम करते हुए उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति नियमों के खिलौना नियम 9 (एच) (ii) के तहत की गई है। इस पद पर नियुक्ति पर उनकी परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि एक वर्ष होगी जब तक कि बाद में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक नहीं बढ़ाया जाता है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि परिवीक्षा की अवधि बढ़ा दी गई थी। **याचिकाकर्ता की ओर से अपनी याचिका के पैरा 7 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था और उसने 6 या 7 अक्टूबर, 1961 को परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली थी। उस पैरा के जवाब में, प्रतिवादी राज्य ने विशेष रूप से इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि याचिकाकर्ता को पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है। उस पैरा के उत्तर में केवल यह अनुरोध किया गया है**

कि याचिकाकर्ता को स्थायी रिक्ति पर नियुक्त नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप परिवीक्षा की अवधि के प्रवाह पर इन्स की पुष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसे परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है और उसने 6 या 7 अक्टूबर, 1961 को परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली है, इस तथ्य से विशेष रूप से इनकार नहीं किया गया है। इसे प्रतिवादी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा। परिवीक्षा की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के काम या आचरण में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोई गलती नहीं पाई गई है, याचिकाकर्ता की पुष्टि उस अवधि की समाप्ति पर परिणाम के रूप में हुई है। जैसा कि पंजाब राज्य *बनाम* धरम सिंह *(1) में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित* किया गया है, याचिकाकर्ता को पुष्टि की गई माना जाएगा। याचिकाकर्ता बिना किसी विराम के 10 साल तक उस पद पर बने रहे। प्रतिवादी राज्य की ओर से दायर अनुलग्नक XII की विषय-वस्तु के अनुसार, 1 जनवरी, 1962 को मौजूदा रूप में दर्शाए गए जिला जनसंपर्क अधिकारियों के स्थायी पदों की संख्या 26 है। याचिकाकर्ता का नाम स्थायी पदों में से एक के खिलाफ सीरियल नंबर 25 पर दिखाया गया है। हालांकि उनके नाम के खिलाफ, यह संकेत दिया जाता है कि वह अस्थायी हैं, लेकिन तथ्य यह है कि वह एक स्थायी रिक्ति के खिलाफ एक पद पर काम कर रहे थे। राज्य की ओर से दायर एक अन्य अनुलग्नक, अनुबंध संख्या XX में भी याचिकाकर्ता को सीरियल नंबर 7 पर दिखाया गया है। यह अनुलग्नक स्थायी पदों को संदर्भित करता है क्योंकि वे 1 जनवरी, 1969 को अस्तित्व में थे। याचिकाकर्ता को 12 स्थायी रिक्तियों में से सीरियल नंबर 7 पर दिखाया गया है, जो उस तारीख को मौजूद थी। इससे यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता 1 जनवरी, 1969 को एक स्थायी रिक्ति के खिलाफ काम कर रहा था। यह देखते हुए कि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह 1962 में एक स्थायी रिक्ति के खिलाफ काम कर रहे थे और 1969 की शुरुआत तक और उसके बाद अपने प्रत्यावर्तन की तारीख तक काम करना जारी रखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक स्थायी पद पर थे। परिवीक्षा की अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को अक्षमता या कदाचार के आधार पर दोषी नहीं पाया गया है, जिसकी पुष्टि की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार याचिकाकर्ता परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर जिला जनसंपर्क अधिकारी के पद पर स्वचालित रूप से पुष्टि की गई।

(5) आक्षेपित आदेश को इस आधार पर आगे चुनौती दी गई है कि आदेश के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक परिणाम होंगे। याचिकाकर्ता जिला जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करते हुए 786.75 रुपये प्रति माह के भत्ते सहित वेतन ले रहा था, जब उसे वापस कर दिया गया था। उन्हें खंड विकास और पंचायत अधिकारी के पद पर वापस भेज दिया गया था। कार्यभार ग्रहण करने पर, उस पद पर 446 रुपये प्रति माह के वेतन और भत्ते शामिल थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को कम परिलब्धियों वाले पद पर प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप दंडित किया जाता है। **निम्नलिखित अधिकारियों को उस तारीख तक खंड विकास और पंचायत अधिकारियों के रूप में पुष्टि की गई थी, याचिकाकर्ता को वापस कर दिया गया था और अस्थायी ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था:** –

(1) श्री राज कुमार नरूला।

(2) श्री सुखचैन सिंह।

(3) श्री शिव दयाल मल्होत्रा **।**

(4) श्री वेद प्रकाश खन्ना ।

(5) श्री कृष्ण लाल कपूर ।

(6) श्री सोहराब सिंह।

(7) श्री रोर सिंह**।**

(8) श्री सत्यपाल मेहता, एवं

(9) श्री आर.एस. बनतलाल

(6)उपरोक्त सभी अधिकारी याचिकाकर्ता के प्रत्यावर्तन की तारीख पर उससे कनिष्ठ थे। याचिकाकर्ता द्वारा वापस किए जाने की तारीख से कम रैंक के पद पर नियुक्त होने और जिस पद पर उसे वापस किया गया है, उस पद पर अस्थायी हाथ के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को उनसे जूनियर बना दिया गया है। **यह एक और दंडात्मक परिणाम है, जिसके साथ याचिकाकर्ता को प्रत्यावर्तन के आदेश के परिणामस्वरूप दौरा किया गया है।**

उच्च पदों पर पदोन्नति और उनके सेवा संवर्ग की सीढ़ी में उच्च परिलब्धियों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्हें अब पद की सीढ़ी के निचले पायदान से शुरुआत करनी होगी, जिस पर उन्हें जिला जनसंपर्क अधिकारी के पद से पदोन्नत करने के बजाय रिवर्ट कर दिया गया है, जिस पर उन्हें पुष्टि की जानी थी। **उपर्युक्त सेवा नियमों के साथ-साथ अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा विचार किए गए नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य था कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करे और प्रत्यावर्तन के आक्षेपित आदेश को पारित करने से पहले जांच करे।**

(7)**राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि नियमों के नियम 10 के उप-नियम (1) में होने वाली 'स्थायी रिक्तियों' की अभिव्यक्ति 'स्थायी पदों' को संदर्भित नहीं करती है, बल्कि 'स्थायी रिक्तियों' को संदर्भित करती है और जब तक कि किसी पदधारी को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख को परिवीक्षा पर मौजूद स्थायी रिक्ति के खिलाफ परिवीक्षा पर नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक उस पदधारी द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सकता है। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, नियम 10 के उप-नियम (1) की भाषा को अंत में परंतुक के साथ पढ़ा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति, 'स्थायी रिक्तियों' का अर्थ स्थायी पद है। यदि बाद में कोई स्थायी पद रिक्त हो जाता है और परिवीक्षा पर तैनात कोई पदधारी अपने कार्य या आचरण से जुड़े बिना किसी दोष या चूक के परिवीक्षा की अवधि पूरी होने के कारण उस पद पर नियुक्त होने का हकदार होता है, तो वह उस रिक्ति में नियुक्त होने का हकदार है। राजेंद्र सरीन *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य *(2) में* खंडपीठ के फैसले पर याचिकाकर्ता की ओर से** भरोसा **रखा गया था। उस मामले में, इस नियम की गुंजाइश और प्रयोज्यता पर विचार किया गया। यह माना गया था कि नियम 10 के उप-नियम (1) की भाषा को उस नियम में संलग्न परंतुक के साथ ध्यान में रखते हुए, 'स्थायी रिक्तियों' को 'स्थायी पदों' के समकक्ष के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। हम दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिए गए उस दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।**

(8)उपरोक्त कारणों से, हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं और 29 मई, 1969 के प्रत्यावर्तन के आदेश को रद्द करते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा